

गंजबासौदा में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त

खास बातें

एसडीएम अनुभा जैन ने दिए निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश

अधिकारियों-कर्मचारियों को चेतावनी

नवभारत न्यूज
गंजबासौदा 19 मई, शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है. पटवारी सभा कक्ष में आयोजित बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने को लेकर तब्वीन चर्चा हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि पक्के-कच्चे मकान, दुकान, खोखा और गुमटियों सहित सभी प्रकार के अतिक्रमण बिना



शासकीय भूमि की बिक्री और रजिस्ट्री पर उठे सवाल

बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि शासकीय भूमि पर स्थायी निर्माण कैसे हुए और उनकी रजिस्ट्री बिना जांच-पड़ताल के कैसे हो गई. वक्ताओं ने कहा कि केवल अतिक्रमणकारियों पर

कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उन लोगों और कर्मचारियों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने मिलीभगत से सरकारी जमीन को निजी भूमि में बदलने का काम किया.

किसी पक्षपात के हटाए जाएंगे. बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कार्रवाई सभी पर समान

यातायात बाधित, दुर्घटनाओं का बढ़ रहा खतरा

रेलवे स्टेशन से सावरकर चौक, जय स्तंभ चौक से विजय नगर कॉलोनी तथा जय स्तंभ चौक से बेतोली रेलवे फाटक तक सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को शहर की यातायात व्यवस्था के लिए

गंभीर समस्या बताया गया. बैठक में कहा गया कि इन अतिक्रमणों के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है.

अब कार्रवाई के परिणाम पर टिकी शहरवासियों की नजर

शहरवासियों का कहना है कि वर्षों से नोटिस जारी करने की परंपरा तो चली आ रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई. अब लोगों की नजर अनुभा जैन के नेतृत्व में चलने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान पर टिकी हुई है. आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि प्रशासन इस अभियान को कितनी मजबूती और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाता है.



जावर. थाना अंतर्गत ग्राम केसोपुर में भू-जल स्तर के संरक्षण और अवैध बोरिंग माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक कार्रवाई की गई है. गौरतलब है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम केसोपुर में कुछ असामाजिक तत्वों माफियाओं द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से बोरवेल का खनन किया जा रहा था. इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान राहुल पिता प्रेमसिंह बागवान निवासी डोडी, रतन सिंह पिता दारियाव सिंह मालवीय निवासी केसोपुर द्वारा बिना पूर्व अनुमति/लाइसेंस के बोरवेल मशीन से अवैध खनन करते हुए पाया गया. पुलिस द्वारा बोरवेल मशीन को जब्त कर लिया गया है. मशीन को सुरक्षित अभिरक्ष में जावर थाने में खड़ा करवा दिया गया है.

24 घंटे में नाबालिग को किया बरामद

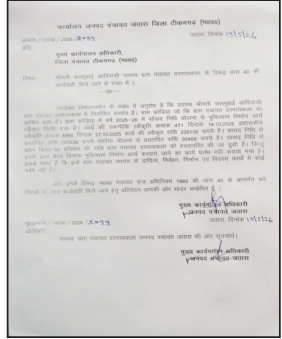
शाहगंज. पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बालिका को बरामद करते हुए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. पुलिस से जानकारी के अनुसार 18 मई को फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फूसला कर ले गया है . वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एसडीओपी रवि शर्मा द्वारा अपहर्ता की तलाश हेतु थाना प्रभारी दिनेश सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम द्वारा अपहर्ता की पतासी कर 24 घंटे के अंदर बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया. प्रकरण में आरोपी 20 वर्षीय बबलेश चौहान पिता स्व. शंकर सिंह चौहान निवासी बकतरा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा.

जतारा जनपद ने जिला सीईओ को भेजा प्रस्ताव

ग्राम पंचायत पंचमपुरा एवं दरगाय कलां की लापरवाही

नवभारत न्यूज, टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा में दो ग्राम पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेजकर ग्राम पंचायत पंचमपुरा की सरपंच श्रीमती कमलेश केवट और ग्राम पंचायत दरगाय कलां की सरपंच श्रीमती कल्लुबाई आदिवासी के विरुद्ध मप्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा है।

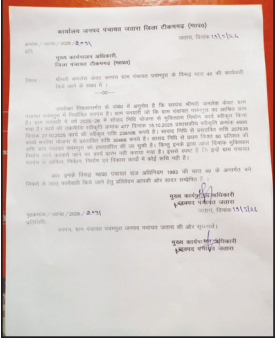
जारी नोटिस के अनुसार दोनों ग्राम पंचायतों के आश्रित गांवों में वर्ष 2025-26 के तहत सांसद निधि योजना से मुक्तधाम निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। पंचमपुरा के आश्रित गांव पनवारी और दरगाय कलां के आश्रित गांव कोडिया में यह निर्माण होना था। दोनों कार्यों के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी गई थी। निर्माण कार्य की कुल



स्वीकृत राशि 2 लाख 38 हजार 106 रुपये बताई गई है, जिसमें सांसद निधि से 2 लाख 7 हजार 638 रुपये और मनरेगा योजना से 30 हजार 468 रुपये प्रस्तावित थे। जनपद पंचायत द्वारा भेजी गई प्रतिलिपि संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी सूचनार्थ भेजी गई है। जारी पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत पंचमपुरा में वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सांसद निधि योजना से मुक्तधाम निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। इस

ग्राम पंचायत में हो रही तरह-तरह की चर्चाएं

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जतारा ने पूरे मामले का प्रतिवेदन जिला पंचायत टीकमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजते हुए सरपंच श्रीमती कमलेश केवट के खिलाफ धारा 40 के तहत नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। इस कार्रवाई की सूचना ग्राम पंचायत पंचमपुरा को भी भेज दी गई है। मामले के सामने आने के बाद पंचायत क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और अब जिला पंचायत स्तर पर आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी है। इसके बावजूद सरपंच द्वारा अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया। जनपद पंचायत प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए यह कार्यवाही की है।



पंचायत कार्यों में लापरवाही मानते हुए जनपद पंचायत जतारा ने दोनों सरपंचों के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है। जनपद पंचायत द्वारा भेजी गई प्रतिलिपि संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी सूचनार्थ भेजी गई है। जारी पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत पंचमपुरा में वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सांसद निधि योजना से मुक्तधाम निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। इस कार्य की

तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 477 दिनांक 15 अक्टूबर 2025 तथा प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 4995 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी। निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत राशि 2 लाख 38 हजार 106 रुपये बताई गई है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि सांसद निधि से प्रस्तावित राशि 2 लाख 7 हजार 638 रुपये तथा मनरेगा योजना से 30 हजार 468 रुपये निर्धारित किए गए थे। साथ ही सांसद निधि की प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत पंचमपुरा को हस्तांतरित भी की जा चुकी थी।

इसके बावजूद सरपंच द्वारा अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया। जनपद पंचायत प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के विकास, निर्माण एवं दायित्वों के

दरगाय कलां सरपंच की उदासीनता

नोटिस में बताया गया कि दरगाय कलां में दस्तावेज में उल्लेख है कि इस राशि में सांसद निधि से 2 लाख 7 हजार 638 रुपए तथा मनरेगा योजना से 30 हजार 468 रुपए प्रस्तावित किए गए थे। साथ ही सांसद निधि की प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत दरगायकला को हस्तांतरित भी की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक मुक्तधाम निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया। जनपद पंचायत ने इसे सरपंच की लापरवाही और विकास कार्यों के प्रति उदासीनता माना है। पत्र में कहा गया है कि सरपंच द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों को मिलने वाली मूलभूत सुविधा प्रभावित हो रही है।

निर्वहन में सरपंच की रुचि नहीं है। वहीं दूसरी ग्राम पंचायत दरगायकला की सरपंच श्रीमती कल्लुबाई आदिवासी के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में जनपद पंचायत जतारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत टीकमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र भेजा गया है। पत्र के अनुसार ग्राम कोडिया, जो ग्राम पंचायत दरगायकला का आश्रित गांव है, वहां वर्ष 2025-26 में सांसद निधि योजना के अंतर्गत मुक्तधाम निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 471 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 तथा प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 4995 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी।

नोटिस में बताया गया कि दरगाय कलां में दस्तावेज में उल्लेख है कि इस राशि में सांसद निधि से 2 लाख 7 हजार 638 रुपए तथा मनरेगा योजना से 30 हजार 468 रुपए प्रस्तावित किए गए थे। साथ ही सांसद निधि की प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत दरगायकला को हस्तांतरित भी की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक मुक्तधाम निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया। जनपद पंचायत ने इसे सरपंच की लापरवाही और विकास कार्यों के प्रति उदासीनता माना है। पत्र में कहा गया है कि सरपंच द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों को मिलने वाली मूलभूत सुविधा प्रभावित हो रही है।

पुलिस की घेराबंदी :सरहद पार होने से पहले थमा गांजे की तस्करी का खेल

गुना। मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर जा रही नशे की एक बड़ी खेप को मृगवास थाना पुलिस ने सीमा लांघने से पहले ही मटियामेट कर दिया। मुखबिर की सटीक और गोपनीय सूचना पर सक्रिय हुई साईन चौकी पुलिस ने बडकुआ के कच्चे रास्ते पर घात लगाकर दो ऐसे शातिर तस्करी को दबोचा है, जो बिना नंबर की बाइक से करीब दो किलोग्राम गांजा ठिकाने लगाने जा रहे थे। जानकारी के अनुसार, सोमवार रात साईन चौकी पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि चांचौड़ा की ओर से एक बिना नंबर की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति अवैध गांजा लेकर बेचने



नवभारत न्यूज
शाहगढ़ 19 मई. ग्राम मुडारी में ठाकुर बब्बा मंदिर परिसर में चल रही जमीन को खुदाई के दौरान चांदी के प्राचीन सिक्के निकल आए. सिक्के मिलने की खबर गांव में तेजी से फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर में निर्माण कार्य के लिए खुदाई कराई जा रही थी. इसी दौरान एक ग्रामीण को जमीन के भीतर से चांदी के कुछ पुराने सिक्के मिले. सिक्कों पर विशेष प्रकार के चिन्ह और आकृतियां अंकित पाई गई हैं, जिन्हें देखकर इनके ऐतिहासिक महत्व का अनुमान लगाया जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि ये

सिक्के वर्ष 1837 से 1901 के शासनकाल के दौरान प्रचलन में रहे होंगे. एसडीएम नवीन ठाकुर, एसडीओपी प्रदीप वाल्मीकि, तहसीलदार विजयकांत त्रिपाठी सहित पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और बरामद सिक्कों को प्रशासनिक कब्जे में लेकर सुरक्षित रखवा दिया. एसडीएम नवीन ठाकुर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ एवं संबंधित टीम सिक्कों की प्रामाणिकता और ऐतिहासिक महत्व का परीक्षण करेगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. मुडारी गांव में प्राचीन सिक्कों की बरामदगी के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है. ग्रामीण इसे ऐतिहासिक धरोहर मान रहे हैं.

ब्लड देकर बचाई महिला की जान

नवभारत न्यूज, टीकमगढ़। जिला चिकित्सालय में भर्ती गंभीर एनीमिक गर्भवती महिला को सिविल सर्जन, डीपीएम एवं अस्पताल प्रबंधक द्वारा सूचना देने पर एक युवक ने सफलतापूर्वक महिला को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी देकर उसकी जान बचाई गई। जिला चिकित्सालय में भर्ती एक महिला जिसका गर्भकाल 8 माह का था, में केवल 5 ग्राम एचबी पाया गया। इलाज के दौरान यह महिला अपने ग्राम वापस चली गई। इसकी सूचना ग्राम की आशा कार्यकर्ता आशा कुशवाहा द्वारा डीसीएम प्रबल त्रिपाठी को दी गई तथा बताया गया कि यह महिला दिल्ली में थी, जो कुछ दिनों पहले ही ग्राम में आई है।

दिव्यांगों को सम्मान से जीने का हक

सक्षम मध्यभारत प्रांत की वार्षिक योजना बैठक आयोजित

विधायक राय व अतिथियों ने किए विचार व्यक्त

नवभारत न्यूज
सीहोर 19 मई. समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम मध्यभारत प्रांत की वार्षिक योजना बैठक का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुदेश राय, समाजसेवी अरुणा राय सम्मिलित हुए. कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की. मुख्य वक्ता संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने संगठन की आगामी योजनाओं, सेवा कार्यों एवं दिव्यांगजन



सर्शाकिरण पर मार्गदर्शन दिया. विधायक सुदेश राय ने सक्षम द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशीलता और सहयोग पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने दिव्यांगजन को कल्याण के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान डायरेक्टर डॉ. अखिलेश कुमार शुक्ला ने की. विशिष्ट अतिथि प्रांत अध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे. वहीं विशेष अतिथियों में समाजसेवी अरुणा राय डॉ. पुष्पा कन्नौजिया, अतुल विपुल चांदक ने भी अपने विचार व्यक्त किए.